

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—


राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:— एफडी(ग्रुप-2)/76 जयपुर दिनांक 11.06.1984, 18.08.1989 व 02.05.1998 एवं संशोधित आदेश No. F10(4) FD Rules/76 Dated 12 September 2008 एवं संशोधित आदेश No. F6 (6) FD/ Rules/2010 Dated 25-04-12 के प्रावधानुसार सार्वजनिक चिकित्सालय बून्दी के बोर्ड की अभिशंषा तथा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बून्दी की अभिशंषा पर ज्ञानचन्द सैनी, अध्यापक राप्रावि रकसपुरा (पीईईओ राउमावि बलवन) बून्दी को कार्यालय में पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक 23.06.18 से Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules, 2012 के अन्तर्गत उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु 600/- रुपये (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं का मासिक में विकलांग भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

ज्ञानचन्द सैनी, अध्यापक राप्रावि रकसपुरा (बून्दी) को यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश दशहरा, दीपावली अवकाश, कार्यभार संभालने हेतु मिलने वाले समय तथा निलम्बन अवधि के लिए देय नहीं होगा।

आज्ञा से
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शि.सं./एफ-4/वि.भत्ता/कोटा मण्डल/1056/18/ दिनांक-14/9/18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बून्दी को रजिस्टर्ड डाक से संलग्न मूल विकलांग प्रमाण पत्र सहित।
2. पीईईओ राउमावि बलवन (बून्दी)
3. ज्ञानचन्द सैनी, अध्यापक राप्रावि रकसपुरा (बून्दी)
4. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर